न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट पिपरोली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/135/17 निर्णय दिनांक : 31.05.2018

उनवान

1. भोण्डा पुत्र अजमत जाति मेव निवासी ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर।
..............................वादी

बनाम

1. हसन खां पुत्र मन्दू
2. गफूर पुत्र हसन खां
3. हकम पुत्र गफूर
4. इरफान पुत्र गफूर जातियान मेव निवासियान पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................असल प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2558/1432 रकबा 0.02 हैक्ट0 वाके ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जबकि असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी से गैर काबिज शख्स है। परन्तु प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के है। जो लठ के बल से जबरन विवादित आरजाी को हडप करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादनी विरूद्ध असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर असल प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2558/1432 रकबा 0.02 हैक्ट0 वाके ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार की नींव आदि खोदकर पक्का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

सम्बोधित किया जायेगा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पिपरोली में दिनांक 31.05.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। उभयपक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षकारान को सुना गया।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पिपरोली में दिनांक 31.05..2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी विवादित आराजी के खातेदार है। वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2558/1432 रकबा 0.02 हैक्ट0 वाके ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर के वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार की नींव आदि खोदकर पक्का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत पिपरोली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

सम्बोधित किया जायेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पिपरोली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 135 / 17 निर्णय दिनांक : 31.05.2018

उनवान

1. भोण्डा पुत्र अजमत जाति मेव निवासी ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. हसन खां पुत्र मन्दू
2. गफूर पुत्र हसन खां
3. हकम पुत्र गफूर
4. इरफान पुत्र गफूर जातियान मेव निवासियान पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................असल प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2558 / 1432 रकबा 0.02 हैक्ट0 वाके ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर के वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार की नींव आदि खोदकर पक्का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)